अध्याय 9

औद्योगिक कार्य-निष्पादन

वर्ष 2008-09 के पश्चात, औद्योगिक क्षेत्र जिसमें विनिर्माण, उत्पादन खनन, बिजली और निर्माण शामिल हैं, ने तीन वर्ष तक आश्चर्यजनक पुनरूद्वार और निरन्तर विकास दिखाया, लेकिन आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष के अवरोधों के मिले-जुले असर के कारण इसने अपनी गति खो दी। वर्ष 2013-14 में औद्योगिक कार्य-निष्पादन लगातार दूसरे वर्ष भी पिछड़ा रहा। सकल घरेलू उत्पाद के अद्यतन अनुमान यह दर्शाते हैं कि वर्ष 2012-13 में औद्योगिक विकास में केवल 1.0% की बढ़ोतरी हुई और यह 2013-14 में और अधिक मन्दा हो गया तथा इसने 0.4% की थोड़ी ही वृद्धि दर्शाई। हालांकि वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) के आंकड़े प्राप्त होने पर इन आंकड़ों में वृद्धि संभव है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि औद्योगिक विकास की बहाली में लम्बा समय लगेगा तथा हाल ही में प्राप्त सर्वोच्च विकास तक पहुंचने के लिए कड़ी पहलें करनी पड़ेगी। इसके अलावा, शेष तीन वर्षों में बारहवीं योजना के विनिर्माण क्षेत्र के 10% का तथा खनन क्षेत्र के 5.7% का अनुमानित लक्ष्य प्राप्त करना कठिन कार्य होगा।

9.2 औद्योगिक कार्य-निष्पादन का क्षेत्र-वार विश्लेषण यह दर्शाता है कि (आकृति 9.1) कम कार्य-निष्पादन के मुख्य कारण हैं– खनन क्रियाकलापों में कमी तथा उत्पादन निर्गत की मन्द गति। उत्पादन और खनन क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद, वर्ष 2013-14 में कम होकर क्रमशः 0.7% तथा 1.4% रह गया। इन दो क्षेत्रों के कम कार्य-निष्पादन का मुख्य कारण, विशेषतः 2011-12 और 2012-13 में गैर-सरकारी कारपोरेट जगत द्वारा निवेश में मन्दी रही है, ऐसा रूझान जो कि लगातार चल रहा है, क्योंकि समग्र सकल निर्धारित पूंजीगत गठन में, वर्ष 2013-14 के दौरान और कमी आई है। पंजीकृत उत्पादन क्रियाकलाप, उत्पादन का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं तथा शेष एक तिहाई, गैर पंजीकृत उत्पादन क्रियाकलाप है। यह देखा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में गैर पंजीकृत उत्पादन

खनन कार्यों में ठेका दिये जाने और उत्पादन के परिणामों में गिरावट आने जैसे कुछ प्रमुख कारण हैं जिनसे कार्य निष्पादन की स्थिति खराब रही है।

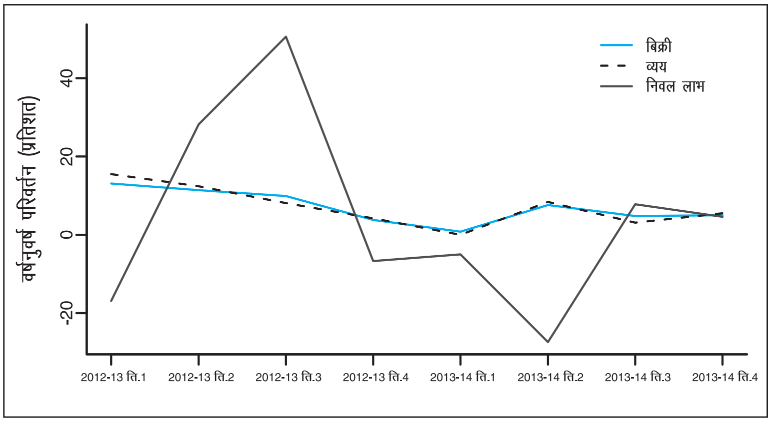

चित्र 9.1 : औद्योगिक जीडीपी की क्षेत्रवार वृद्धि (प्रतिशत)

का हिस्सा समय के साथ कम हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद में पंजीकृत उत्पादन का हिस्सा वर्ष 2004-05 से वर्ष 2012-13 में 9.8% से बढ़कर 11.2% हो गया है जबकि अपंजीकृत उत्पादन का हिस्सा वर्ष 2004-05 से वर्ष 2012-13 में 5.4% से कम होकर 4.5% हो गया है।

9.3 इसके अलावा निर्माण क्रियाकलापों में मंदी के कारण इस्पात और सीमेन्ट क्षेत्र में क्षमता का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाया है। इस्पात और सीमेन्ट की खपत, 2013-14 में क्रमशः 0.6% तथा 3% बढ़ गई। 2001-02 से पहली बार, वर्ष के दौरान डीजल की खपत 0.3% कम हुई। मांग-पक्ष के अवरोधों तथा अन्य कारणों के कारण पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता क्षेत्र के निर्गत में कमी आई। दो प्रमुख उत्पादक उप क्षेत्र जिन्होंने पूर्व में निरंतर विकास दर दिखाई थी; अर्थात ओटोमोटिव और निर्यातोन्मुखी रत्न और आभूषण क्षेत्र ने वर्ष 2013-14 के दौरान नकारात्मक विकास दर दिखाई। वर्ष 2013-14 की सकारात्मक मुख्य बातें थीं, वस्त्र और इलैक्ट्रिक उपस्कर तथा विद्युत पैदा करने में बहुत अधिक विकास, जो कि ईंधन की आपूर्ति की अड़चनों के क्रम में क्षमता के कम प्रयोग किए जाने के कारण नहीं था।

मांग की ओर से पैदा होने वाली अड़चनों तथा साथ ही कुछ अन्य कारकों के कारण पूंजीगत माल के उत्पादन में और टिकाऊ उपभोक्ता क्षेत्र में संकुचन आया है।

9.4 नीचे दिए गए क्षेत्रों में, औद्योगिक उत्पादन आकलन की अद्यतन सूची के आधार पर मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन की जांच पड़ताल की जाती है। आई.आई.पी. आधारित आकलन, औद्योगिक कार्य-निष्पादन के तुरन्त आकलन के लिए है तथा इनका सीजन के अनुसार समायोजन नहीं किया जा सकता, अतः ये आंकड़े, उतार-चढ़ाव और कलैन्डर के प्रभावों को नजरअन्दाज करते हैं इन अनुमानों की वार्षिक ए.एस.आई. आधारित आकलनों अथवा मासिक एच.एस.बी.सी. इण्डिया उत्पादन खरीद प्रबन्धक सूचकांकों से तुलना नहीं की जा सकती।

आई.आई.पी. आधारित औद्योगिक कार्य-निष्पादन

खनन और विद्युत

9.5 खनन क्षेत्र का निर्गत, तीसरे लगातार वर्ष अर्थात 2013-14 में कम होकर 0.6% रह गया। देश में खनिज उत्पादन (परमाणु और छोटे खनिजों के अलावा) की कुल कीमत में से कोयला और लिगनाइट, कच्चा पैट्रोलियम, लौह अयस्क और प्राकृतिक गैस (प्रयोग की जाने वाली) का आंकलित अंशदान लगभग 92% है। पिछले तीन वर्ष में खनिज सूचकांक में कमी, इन सभी खनिजों में कम उत्पादन के कारण हुई है। कोल का अंश, खनन क्षेत्र का लगभग 41% है तथा इसके उत्पादन में वृद्धि, अध्याय 11 में विस्तृत में चर्चा किए गए संरचनात्मक मुद्दों के कारण आशा से कम रही है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में, के.जी. 6 बेसिन से उत्पादन कम होने के कारण कमी आई है। न्यायालय के आदेश के कारण कुछ हिस्सों में लौह अयस्क के निर्गत में कमी आई है। लौह अयस्क खनन की पुनः अनुमति दे दी गई है लेकिन लौह-अयस्क की वैश्विक कीमतें 2011 के शीर्ष से काफी कम हुई है। पिछले वर्ष की दर्ज 4% विकास दर की तुलना में 2013-14 में विद्युत उत्पादन में 6.1% वृद्धि हुई। विद्युत उत्पादन में पिछले वर्षों में क्षमता बढ़ाए जाने के कारण विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है।

पिछले तीन वर्षों में खनिज सूचकांक में संकुचन आने का मुख्य कारण यह है कि कोयला, लिग्नाइट, कच्चा पेट्रोलियम, लौह अयस्क और प्राकृतिक गैसों में उत्पादन या तो कम या साधारण रहा है।

विनिर्माण

9.6 जैसा कि पैरा 9.2 में उल्लिखित है, औद्योगिक विकास में कमी, उत्पादन की रफ्तार में कमी के कारण हुई है क्योंकि यह औद्योगिक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% हिस्सा है। निर्धारित निवेश में मंदी के अतिरिक्त कई घरेलू और आंतरिक कारकों जैसे कि ऊंची ब्याज दर आधारभूत संरचना की अड़चनें, मुद्रा स्फीति दबाव जिनसे आगत लागत बढ़ती है, कुछ क्षेत्रों के लिए घरेलू और बाहरी में कमी, ने मिलकर उत्पादन क्षेत्र में कम विकास में योगदान दिया है। इसके विपरीत विश्व उत्पादन, 2013-14 में सुदृढ़ हो गया। भारत और वैश्विक निर्माण उत्पादन के बीच भिन्न कार्य-निष्पादन का सम्भव कारण है, औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में मोटर वाहानों जैसी उपभोक्ता मदों की मांग में वृद्धि। उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र सूचकांक पिछले वर्ष की 2% की विकास दर की तुलना में 2013-14 में 12.2% कम हो गया। उपभोक्ता मद क्षेत्र, विशेषत: भारत में ओटोमेटिव क्षेत्र में सीमित घरेलू बाजार से प्रभावित होता है जिससे न्यून प्रति व्यक्ति आय होती है। आई.आई.पी. की उपभोक्ता बास्केट की मुख्य मुद्दे जिनमें 2013-14 के दौरान गिरावट आई, वे हैं–रत्न और आभूषण, यात्री कारों, रंगीन टीवी सैट, और टेलीफोन सैट। रत्न और आभूषण क्षेत्र पर, सोने के सीमित आयात के कारण प्रभाव पड़ा। गैर-उपभोग वस्तु क्षेत्र सूचकांक, पिछले वर्ष दर्ज 2.8% की बढ़ोतरी की तुलना में 2013-14 में 5% बढ़ा। खाद्य पदार्थ उप समूह सूचकांक, जिसमें मुख्यत: गैर उपभोग उत्पाद शामिल हैं, 2013-14 में चीनी में 8.2% कमी होने के कारण 1.1% कम हो गया। माध्यस्थ वस्तु सूचकांक में पिछले वित वर्ष की 1.6% की तुलना में वर्ष 2013-14 में 3.1% बढ़ोतरी दर्शाता है। आधारभूत वस्तुओं का कार्य-निष्पादन, पिछले वर्ष के अनुसार लगभग बराबर रहा।

सावधि निवेश में आई मंदी के अलावा ऐसे कई घरेलू और बाहरी कारण हैं, जैसे कि ब्याज की ऊंची दर, अवसरंचनात्मक अवरोध, मुद्रास्फीति का दवाब, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है, कुछ क्षेत्रों में घरेलू और बाहरी मांग में कमी जिनके एक साथ हो जाने से विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर कम हुई।

(प्रतिशत)

विस्तृत क्षेत्र	भार	2012.13	2013.14
खनन	14.2	-2.3	-0.6
विनिर्माण	75.5	1.3	-0.8
विद्युत	10.3	4.0	6.1
उपयोग आधारित वर्गीकरण			
आधारभूत माल	45.7	2.4	2.1
पूंजीगत माल	8.8	-6.0	-3.6
मध्यवर्ती माल	15.7	1.6	3.1
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	84.6	2.0	-12.2
उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं	213.5	2.8	5.0
सामान्य सूचकांक साधारण तालिका	100.0	1.1	-0.1

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

सारणी 9.1 : विस्तृत क्षेत्र की आईआईपी आधारित वृद्धि दर/उपयोग आधारित वर्गीकरण

पूंजीगत वस्तुएं

9.7 आई.आई.पी. आकलन का, प्रयोग आधारित औद्योगिक वर्गीकरण, पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र को, उत्पादन क्षेत्र में कमजोर कार्य-निष्पादक के रूप में परिभाषित करता है। पूंजीगत वस्तुओं का सूचकांक 2012-13 में 6% कम हो गया तथा 2013-14 में और 3.6% कम हो गया। तालिका (9.2)। यह क्षेत्र पिछले तीन वर्ष में निर्धारित निवेश की धीमी रफ्तार से प्रभावित हुआ है। बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की धीमी गति तथा नई परियोजनाओं की संख्या में कमी ने वैश्विक पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। तैयार किए जाने वाले धातु के उत्पाद मशीनरी और उपस्कर और वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र, मंदी के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान, वाणिज्यिक वाहन उत्पादन में 16% की कमी आई। पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र के भीतर केवल इलैक्ट्रिकल मशीनरी में, वर्ष 2012-13 के 0.6% की तुलना में वर्ष 2013-14 में 14.5% विकास दर दर्ज की गई है। भारतीय पूंजीगत वस्तुओं के निम्नतर कार्य निष्पादन के मुकाबले, वैश्विक कार्य निष्पादन बहुत अधिक है। हाल ही के वर्षों में वैश्विक रूप से अत्यधिक तीव्र विकास वाले 5 उत्पादन क्षेत्र रहे हैं अर्थात (i) आधारभूत धातु (ii) रेडियो, टी.वी. और संचार के उपस्कर (iii) कार्यालयी लेखा और गणन यान्त्रिकी (iv) इलैक्ट्रिकल मशीनरी और एपरेटस, और (v) परिवहन। चिंता की एक दूसरी बात यह है कि आर्थिक मन्दी और रुपये के अवमूल्यन से वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान के दौरान पूंजी गत माल के आयात में अचानक गिरावट आ गई है। पिछले दोनों वित्तीय वर्षों में मशीनरी, इलैक्ट्रिकल मशीनरी, परिवहन सामानों और इलैक्ट्रानिक सामानों के आयात में गिरावट का रुख

आईआईपी आकलनों के उपयोग आधारित वर्गीकरण से पता चलता है कि विनिर्माण के क्षेत्र में पूंजीगत माल की स्थिति खराब रही है।

(प्रतिशत)

	2012-13	2013-14
फेब्रिकेटेड धातु उत्पाद	-4.7	-6.9
मशीनरी व उपकरण	-4.7	-4.7
कार्यालय लेखा और संगठन मशीनरी	-13.9	-15.7
विद्युत मशीनरी	0.6	14.5
मोटर वाहन आदि	-5.3	-9.6
अन्य परिवहन उपकरण	-0.1	5.9
पूंजीगत माल	**-6.0**	**-3.6**
विनिर्माण	**1.3**	**-0.8**

स्रोत: सीएसओ

सारणी 9.2 : पूंजीगत क्षेत्र और इसके घटकों की आईआईपी आधारित वृद्धि दर

रहा है। पूंजीगत माल का आयात 2012-13 में 3.4 प्रतिशत और 2013-14 में 14.7 प्रतिशत कम रहा है।

आठ प्रमुख उद्योगों का निष्पादन

9.8 आईआईपी बास्केट में आने वाले उद्योगों में से आठ प्रमुख उद्योगों- जैसे कि कोयला, उर्वरक, विद्युत, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इस्पात और सीमेंट जोकि महत्वपूर्ण (कोर) प्रकृति के होते हैं क्योंकि सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों के साथ-साथ अन्य उद्योगों पर जिनका प्रभाव पड़ता है - का एक संकेतात्मक मासिक सूचकांक तैयार किया जाता है जो कि संबंधित मास के अनंतिम उत्पादन सूचकांकों पर आधारित होता है।

9.9 इन आठों प्रमुख उद्योगों की औसत वृद्धि दर 2011-12 में 5.0 प्रतिशत और 2012-13 में 6.5 प्रतिशत थी। इन आठ उद्योगों का सूचकांक में वर्ष 2013-14 के दौरान केवल 2.7% की वृद्धि हुई है इसमें जो मामूली वृद्धि हुई है उसका मुख्य कारण यह है कि प्राकृतिक गैस (-13.0%) और कच्चे तेल (-0.2%) की नाकारात्मक वृद्धि देखी गई है तथा कोयला (0.7%), उर्वरक (1.5%) और रिफाइनरी उत्पादों (1.7%) में वृद्धि दर बहुत कम रही है।

कार्पोरेट सेक्टर की प्रगति

9.10 लगातार चल रही मन्दी का कार्पोरेट सेक्टर के कामकाज पर भी असर पड़ा है। जहां एक ओर कार्पोरेट सेक्टर के ऋण स्तर में बढ़ोत्तरी हुई है, वहीं इसके अर्जन और लाभप्रदत्ता पर दबाव देखने में आया है, जिससे ऋण कवरेज का अनुपात बढ़ गया है। इसका आंशिक रूप से बैंकिंग क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा है और गैर कामकाज वाली परिसंपत्तियों में सहवर्ती वृद्धि हुई है। कार्पोरेट क्षेत्र, विशेषकर निजी क्षेत्र की सूची में शामिल विनिर्माता कंपनियों के मामले में, की विक्री में बहुत गिरावट आयी है जो कि 2011-12 के प्रथम तिमाही के 25.3 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 के चौथी तिमाही में 5 प्रतिशत तक हो गई है। (चित्र 9.2), ये वे अंतिम त्रिमाही हैं जिनके तुलनात्मक आंकड़ों का सेट उपलब्ध है।

हालांकि कार्पोरेट क्षेत्र के ऋण में बढ़ोत्तरी हुई है, वहीं आय और लाभ पर दबाव बना हुआ है जिसके कारण "डेट कवरेज" अनुपात बढ़ गया है। इससे बैंकिंग क्षेत्र पर भी अंशत: प्रभाव पड़ा है और अनर्जक अस्तियों में वृद्धि हुई है।

चित्र 9.2 : निजी क्षेत्र की सूचीबद्ध विनिर्माण कम्पनियों का निष्पादन

9.11 सकल व्यय की वृद्धि दर 2011-12 के प्रथम तिमाही के 25.2 प्रतिशत से घटकर 2013-14 की चौथी तिमाही में 5.5 प्रतिशत हो गयी है। ऐसा मुख्य रूप से कच्चे माल और स्टाफ लागत में कम वृद्धि दर के कारण हुआ है। ब्याज व्यय की वृद्धि में वर्ष दर वर्ष गिरावट आयी है जोकि वर्ष 2011-12 की दूसरी तिमाही के 42.8 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 की चौथी तिमाही में 10.5 प्रतिशत हो गयी है। मूल्य शक्ति, जिसे लाभांश के रूप में देखा जाता है, 2011-12 की दूसरी तिमाही में कम रही है। निवल लाभ और विक्री का अनुपात पिछले तीन सालों (अर्थात् 2011-12 से 2013-14 में) 5-6 प्रतिशत रहा है। 2013-14 की दूसरी तिमाही में यह तेजी से कम हुआ था। उसके बाद 2013-14 की तीसरी तिमाही में इसमें सुधार आया है।

9.12 क्षमता उपयोग, जिसका मापन भारतीय रिजर्व बैंक के आर्डर बुक्स, 24वें दौर इन्वेन्टरीज एण्ड कैपसिटी युटिलाइजेशन सर्वे (ओबीआईसीयूएस) के द्वारा, जैसा कि मापन किया गया है, वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में लगभग एक जैसा ही रहा है। यद्यपि वर्तमान क्षमता उपयोग का स्तर पिछले वर्ष की इसी अवधि के स्तर की तुलना में कम रहा है फिर भी नये आर्डर्स में वर्ष दर वर्ष की तरह तिमाही दर तिमाही में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। अंतिम रूप से निर्मित माल इन्वेन्टरी और विक्री का अनुपात पिछले वर्ष की तिमाही की तुलना में वर्ष 2013-14 की तिमाही में कम रहा है।

बाक्स 9.1 : राष्ट्रीय विनिर्माण नीति और औद्योगिक कोरिडोर्स के क्रियान्वयन में हुई प्रगति

भारत सरकार ने 4 नवम्बर, 2011 के एक प्रेस नोट के माध्यम से एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) को अधिसूचित कर दिया है जिसका उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के हिस्से को बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक करना और एक दशक में लगभग 100 मिलियन रोजगार पैदा करना है। इस नीति में मुख्यतया ऐसे उद्योगों पर जोर दिया गया है जो रोजगार के प्रति संवेदनशील हैं और विनमें पूंजीगत माल का उत्पादन होता है, जिनका रणनीतिक महत्व है और जिसमें भारत को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होता है। ये उद्योग छोटे और मध्यम उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के अलावा है। इस राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोनों (एनआईएमजेड) का सृजन करके सामूहिककरण को बढ़ावा दिया जाता है। वर्ष 2013-14 तक 16 निम्ज घोषित किये जा चुके हैं। इनमें से आठ दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) में हैं। आठ अन्य एनआईएमजेड को सिद्धांत रूप में अनुमोदन दिया गया है जो कि इस प्रकार है- (I) महाराष्ट्र में नागपुर, (II) आन्ध्र प्रदेश में चित्तूर, (III) आन्ध्र प्रदेश (अब तेलंगाना) में मेढक, (IV) आन्ध्र प्रदेश में प्रकाशम, (V) कर्नाटक में तुमकर, (VI) कर्नाटक में कोलार (VII) कर्नाटक में बीदर और (VIII) कर्नाटक में गुलबर्ग

(i) दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी)

डीएमआईसी को दिसम्बर 2006 में भारत सरकार और जापान सरकार के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन के अनुपालन में प्रारम्भ किया गया है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में और महाराष्ट्र में चल रही है। साथ ही साथ इसको रेलवे के वेस्टर्न डेडीकेटेड, फ्रेट कोरिडोर (डीएफसी) के साथ-साथ भी चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य जिससे की डीएफसी के साथ सम्बन्धा सथापित हो सके और एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार किय जा सके जिसमें विश्व स्तरी प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण हो और अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हों ताकि निवेश को बढ़ाया जा सके और सतत् विकास हासिल हो सके। 2008 में स्थापित, डीएमआईसी डेवलपमेंट कारर्पोरेशन डीएमआईसीडीसी इस परियोजना को लागू करने वाला अभिकरण है। जापानी सरकार ने पहले चरण में इस योजना के लिए 4.5 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकी सहायता भी निहित है, देने की भी घोषणा की है। सभी क्षेत्रों के लिए, केवल उत्तर प्रदेश क्षेत्र की दादरी नोयडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट जोन को छोड़कर, मास्टर प्लान को पूरा कर लिया गया है तथा राज्य सरकारों से सहमति ले ली गई है। नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ प्रारंभिक 40 परियोजनाओं की विभिन्न राज्यों में विकास के विभिन्न स्तरों को मॉडल पहलकदमी के लिए, पहचान की गई है। डीएमआईसी ट्रस्ट ने नौ परियोजनाओं पर निवेश का निर्णय लिया है तथा डीएमआईसीडीसी द्वारा पहले ही इस कार्य को पूरा करने का कार्य चल रहा है।

(ii) चैन्नई- बंगलुरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी)

चैन्नई- बंगलुरू - चित्रदुर्गा इंडस्ट्रियल कोरिडोर (लगभग 560 कि.मी.) से कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य लाभान्वित होंगे। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंजेसी (जेआईसीए) स्टडी टीम ने चैन्नई-बंगलुरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर के लिए व्यापक एकीकृत मास्टर प्लान के लिए प्रारंभिक अध्ययन किया तथा विभिन्न क्षेत्रों से कुल 25 प्राथमिक परियोजनाओं की पहचान की। इसका उद्देश्य औद्योगिक अड़चनों को समाप्त करना था। इन परियोजनाओं की प्रगति की निरंतर रूप से निगरानी की जा रही है।

(iii) बंगलुरू-मुम्बई आर्थिक कोरिडोर (बीवीएमईसी):

भारत तथा ब्रिटेन ने एक नए बंगलुरू-मुम्बई आर्थिक कोरिडोर (बीवीएमईसी) के विकास के लिए एक संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। परामर्शदाताओं (मैसर्स एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजिनियर्स प्राइवेट लि. के साथ संयुक्त उपक्रम आईएयू इले-डी फ्रांस तथा क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर साल्यूशन लि.) ने एक व्यवहारिक अध्ययन किया है तथा इसके वर्ष 2014 में पूरा होने की संभावना है। व्यवहारिक अध्ययन के पश्चात् एक संयुक्त परिचालन समूह की स्थापना की जाएगी।

(iv) ईस्ट कोस्ट इकोनामिक कोरिडोर (ईसीईसी) जिसमें विजाग- चैन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (वीसीआईसी)

शामिल है: कोलकाता-चैन्नई-तूतीकोरिन से जुड़े हुए तथा पूर्व तटीय आर्थिक-गलियारे (ईसीईसी) पर, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने एक संकेतात्मक टिप्पणी तैयार की है तथा एडीबी की सहायता से एक व्यवहारिक अध्ययन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। आन्ध्र प्रदेश पुर्नसंगठन अधिनियम 2014 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा किए गए वचन को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन के पहले चरण में विज़ाग चैन्नई-सेक्शन पर ध्यान केन्द्रित करेगा ताकि अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के भीतर, चैन्नई-विज़ाग इंडस्ट्रियल कोरिडोर पर अंतिम निर्णय लिया जा सके तथा तदनुसार आगे कार्रवाई की जा सके।

(v) अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी)

सरकार ने जनवरी, 2014 में एक अमृतसर-कालकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी)की स्थापना का ईस्टर्न फ्रीट कोरिडोर (ईडीएफसीओ) को दोनों ही साइड में 150-200 कि.मी. के बैंड के साथ, चरणबद्ध रूप से, सात राज्य शामिल होंगे: पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिमी बंगाल। सरकार ने सिद्धांत रूप से एक अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन (एकेआईसीडीसी) की स्थापना का अनुमोदन भी दे दिया है। वर्ष 2014-15 से एकेआईसी पर तुरंत कार्रवाई के लिए एकेआईसीडीसी की स्थापना का प्रस्ताव है।

क्षेत्रों द्वारा औद्योगिक विकास

सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र

9.13 एमएसएमई क्षेत्र में 31.8% भाग विनिर्माण उद्यमों का और शेष 68.2% भाग सेवा उद्यमों का है। इन उद्यमों में लगभग 55.3% उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। एमएसएमई क्षेत्र में वर्ष 2010-11 तक प्रति वर्ष 11% से अधिक की निरंतर वृद्धि दर्शाई गई है। जबकि वर्ष 2011-12 में वृद्धि दर 19% थी और वर्ष 2012-13 में लगभग 14% थी।

9.14 हाल ही में एमएसएमई पर गठित प्रधान मंत्री कार्यबल और बारहवीं योजना संबंधी कार्यसमूह ने एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना का नीतिगत ढांचा इन प्रमुख समितियों की सिफारिशों द्वारा निर्देशित होता है। इस योजना में एमएसएमई क्षेत्र के विभिन्न पहलू शामिल हैं और इसकी प्रमुख सिफारिशें छः व्यापक शीर्षों के अंतर्गत आती हैं: (i) वित्त और ऋण, (ii) प्रौद्योगिकी, (iii) अवसंरचना, (iv) विपणन और प्रापण, (v) कौशल विकास और प्रशिक्षण, और (vi) संस्थागत ढांचा। इस योजना में खादी और ग्रामीण उद्योगों तथा नारियल-जटा क्षेत्रों के लिए पृथक सिफारिशें रखी गई हैं।

बारहवीं योजना में एमएसएमई क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है और इसकी मुख्य सिफारिशें छः प्रमुख घटकों के तहत आती हैं: (i) वित्त और ऋण, (ii) प्रौद्योगिकी, (iii) अवसंरचना, (iv) विपणन एवं खरीद, (v) कौशल विकास और प्रशिक्षण, और (vi) संस्थागत संरचना।

9.15 एमएसएमई क्षेत्र के संवर्द्धन के लिए, अनेक स्कीमें प्रचालन में हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए की गई कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं: (i) प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम; (ii) भारत समावेशी नवाचार निधि; (iii) ऋण आधारित पूंजी संबंधी राजसहायत; (iv) ऋण गारंटी स्कीम; (v) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम; (vi) एमएसई-समूह विकास कार्यक्रम; और (vii) तीन वर्षों के लिए एमएसएमई को गैर-कर हितलाभों के विस्तार की स्कीम। सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति को भी अधिसूचित किया है। नीति में यह अधिदेशित किया गया है कि प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम तीन वर्षों की अवधि के दौरान वित्त वर्ष 2012-13 से आगे एमएसई के कुल उत्पादों और सेवा क्रम के वार्षिक प्रापण का न्यूनतम 20% का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इसके अतिरिक्त इस नीति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए इस 20% लक्ष्य का 4% उपलक्ष्य भी रखा गया है।

9.16 समग्र विनिर्माण में अनौपचारिक क्षेत्र की घटती हिस्सेदारी के मद्देनजर एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ करना अति आवश्यक है। आने वाले वर्षों में लाखों बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए औपचारिक व गैर-औपचारिक दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों का पुनरुद्धार अति आवश्यक है। अतः मुख्य प्रेरकों पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। वर्ष 2013-14 के दौरान एमएसएमई क्षेत्र के पुनरुद्धार और संवर्द्धन के लिए विनिर्माण को गति प्रदान करने के लिए सचिव एमएसएमई की अध्यक्षता में एक-अंतरमंत्रालकी समिति ने अनेक सिफारिशें दी। वित्त मंत्रालय ने छोटे व्यवसायों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय, राज्य सरकारों, और निजी क्षेत्र के स्टेकधारकों के सहयोग से जून, 2013 में छोटे व्यवसायों पर एक कार्यशाला आयोजित की थी। कार्यशाला के दौरान हुए विचार-विमर्श के आधार पर, आने वाले दिनों में नीतिगत गठन को मार्ग दर्शन देने के लिए बाक्स 9.2 में कुछ कार्य बिंदुओं को सारबद्ध किया गया है।

संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में छोटे कारोबारों का पुनरूद्धार करना आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी के लिए रोजगार सृजित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

बाक्स 9.2 : व्यवसाय के माहौल में सुधार : लघु, मध्यम और दीर्घावधिक संदर्भ में उठाए जाने वाले कदम

आने वाले कुछ वर्षों में सरकार ने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर, छोटे व्यवसायों के लिए व्यवसायिक वातावरण सुधारने के तरीकों पर विचार करना है। हालांकि व्यवसाय को शासित करने वाले कानूनों और विनियमों का समग्र रूप से पुनरुद्धार करना दीर्घावधिक समाधान है, यद्यपि अल्पावधि में अनेक कदम उठाए जा सकते हैं, और अनेक नीतिगत प्रयोग प्रारंभ किए जा सकते हैं।

अल्पावधि में उठाए जाने वाले कदम

1. राज्यों और केंद्र दोनों स्तरों पर व्यवसायों पर लागू सभी नियमों और विनियमों की वेबवाइट सृजित करें। यह केंद्र, राज्यों और उद्यमियों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पोर्टल होगा, बशर्ते कि विनियमन सर्वव्याप्त हो। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा स्थापित ईबिज ने पहले ही कुछ कार्य कर लिया है जिसे आधार बनाया जा सकता है। आने वाले समय में वेबसाइट राज्यों के संपर्क में सर्वोत्तम पद्धतियों को भी ला सकती है।
2. अप्रचलित विनियमों जिन्हें सुरक्षित ढंग से हटाया जा सकता है, के लिए मौजूदा विनियामक परिदृश्य की समीक्षा की जाए। प्रथम सिद्धांतों से एक ऐसे आदर्श विनियामक ढांचे को सृजित करना जो प्रारंभ में केवल एसएमई पर लागू हो सके, और अधिक महत्वाकांक्षी कार्य होगा।
3. निरीक्षणों के विरूद्ध शिकायत निपटान तंत्रों को सुदृढ़ करें। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में यह कहा जाता है कि फर्में सफलतापूर्वक अपील कर सकती हैं और तीन से पांच दिनों के भीतर निपटान प्राप्त कर सकती हैं। निपटान प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में मदद करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि निरीक्षण और निपटान प्रक्रिया में सृजित सभी दस्तावेजों की प्रतियां फर्मों को दी गई हों।
4. मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करें और रिपोर्टिंग/डाटा प्रस्तुतीकरण को जहां तक संभव हो केवल ऑनलाइन मोड में ही करें उदाहरणार्थ नैत्य पंजीकरण, सूचना को बार-बार दर्ज करना और सूचना की रिपोर्टिंग। समिति इस पर ईबिज के साथ कार्य कर सकती है।
5. महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया को निरीक्षक के स्थान पर उच्चतर स्तर के अधिकारियों में निहित करना जो कि आमतौर पर फर्मों के अधिक विश्वासपात्र होते हैं। निरीक्षक का क्षेत्राधिकार दस्तावेजों के उल्लंघन का अवलोकन करना जबकि महत्वपूर्ण शास्तियों के संबंध में क्षेत्राधिकार वरिष्ठ अधिकारियों का होगा।
6. स्व-प्रमाणन और तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणीकरण की प्रणाली सृजित करें। इस प्रणाली को जनहित के लिए कम वरियता वाले या कम महत्वपूर्ण समझे जाने वाले विनियमों के अति विविध निरीक्षणों के स्थानापन्न के रूप में लाया जाए। एक ऐसा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाएं जहां केवल वे उच्च-जोखिम वाले निर्णय बड़ी कंपनियां/कंपनियां ही बारंबार निरीक्षणों के अध्यधीन हों जिनका अनुपालन का कोई रिकार्ड नहीं है।
7. फर्मों को चूकों को/अनुपालन की कमी को दूर करने के लिए समयावधि दी जाए न कि उन्हें तुरंत दंड दें। निरीक्षणों का ध्येय चूककर्ताओं को दंड देने के स्थान पर उनको विनियमों का नियमित रूप से अनुपालन करने में मदद देना होना चाहिए।
8. भूमि का वाणिज्यिक भूखंडों और आवासीय भूखंडों में मौजूदा पृथक्करण एमएसएमई स्थापित करने में बाधक है। एक समाधान भूमि को मिश्रित उपयोग के लिए नामित करना और जब वे शुरूआत करें इसे सूक्ष्म उद्यमों को उपलब्ध कराना। एक अन्य समाधान नए औद्योगिक जोनों, जहां विविध प्रकार के क्रियाकलापों के लिए अनुमति प्राप्त की गई है, में पूर्व-अनुमोदित ब्लॉकों को सृजित करना।
9. पर्याप्त भूमि विकास प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बड़ी फर्मों द्वारा धारित की गई है। ये भू-बैंक अप्रयुक्त पड़े हुए हैं। सरकार आबद्ध भूमि को छुड़ाने के लिए 'प्रयोग करो या छोड़ो' वाली नीति बना सकती है ताकि इस भूमि को औद्योगिक संपदा, सामान्य सुविधाओं, उद्भवन इत्यादि के लिए प्रयोग किया जा सके।
10. कर्मचारियों और नियोक्ताओं को लोचशील विकल्प प्रदान किए जाने चाहिए जिनसे विकास और प्रदाताओं की ओर से सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य हितलाभों की व्यापक उपलब्धता झलकती हो जैसाकि नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)
11. जो नियोक्ता अनियमत कामगारों (दैनिक, साप्ताहिक और अन्य अल्प अवधि का या मौसमी रोजगार) को भर्ती करते हैं और वेतन देते हैं, उनके द्वारा क्रय के लिए कूपन प्रणाली लाई जा सकती है जिसमें कूपन की कीमत में सामाजिक हितलाभों हेतु प्रीमियम शामिल किया गया हो, ताकि वर्तमान में विद्यमान अंशदावों और रिपोर्टिंग की भारी भरकम प्रणाली को बदला जा सके। कूपन को कामगार के आधार नंबर से जोड़ना सरल होना चाहिए, ताकि अनेक फॉर्म दर्ज कराने की आवश्यकता का निराकरण हो सके।
12. वर्तमान में प्रशिक्षुताएं पुराने और बोझिल 1961 अधिनियम के नीचे दबी पड़ी हैं। शिक्षुता अधिनियम को दोबारा लिखा जाना/संशोधित किया जाना चाहिए।
13. अस्थायी रोक और उसके बाद व्यवस्थित तथा तीव्र परिसमापन, पुनरुद्धार या बिक्री विकल्पों को लाते हुए वित्तीय संकट से व्यवस्थित ढंग से निपटने के लिए एक तंत्र प्रदान करने के लिए 2006 के एमएसएमई अधिनियम का संशोधन करें। बिहार के उदाहरण का भी अध्ययन करें, जहां एसएमई वित्तीय संकट से निपटने के लिए एक 'शीर्ष समिति' का सृजन किया गया है।

मध्यम अवधि के कदम

1. राज्यों को व्यवसाय संबंधी विनियमों पर सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा कराएं और देखें कि जांचे गए और परखे गए विनियामक परिवर्तन के लिए क्या आधार बन सकता है।
2. इन जानकारियों के आधार पर, राज्य द्वारा अनुमोदित नमूना विनियामक ढांचे का सृजन करें जो कि एनआईएमजेड में खुल रहे व्यवसायों के लिए उपलब्ध हों। इस नमूने में स्व प्रमाणन, तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणन, सम्यक प्रमाणन और जोखिम आधारित निरीक्षणों सहित मज़दूरी, करों और सुरक्षा/पर्यावरण अनुपालन मानदंडों समेत प्रवेश विनियमन, भूमि/स्थल आवंटन और विकास संबंधी विनियमों पर ब्यौरों के साथ-साथ बाहर निकलने की शर्तों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
3. राज्यों को नि:संदेह नमूना ढांचे से अलग होने की स्वतंत्रता होगी। प्रस्थानों की परिणती देखने के लिए इनकी निगरानी की जा सकती है।
4. व्यवसायिक पर्यावरण और परिवर्तन के लिए समर्थक पर कार्य हेतु ज्ञान आधार के रूप में एक और अधिक स्थायी निकाय (आस्ट्रेलियन उत्पादकता आयोग के अनुरूप) स्थापित किया जा सकता है।

दीर्घावधिक कदम

1. व्यवसाय को शासित करने वाली भारतीय विधि की समग्र रूप से पुनरुद्धार की आवश्यकता है। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग के अनुरूप एक समिति बनाई जा सकती है, जिसमें विशेष रूप से कराधान, मजदूरी, पर्यावरण और सुरक्षा के क्षेत्रों में और अधिक सुप्रवाही और आधुनिक कानूनों का प्रस्ताव अधिदेशित हो। यहां प्राथमिक कार्य प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु विवादित क्षेत्रों में, फिलहाल आम सहमति बनाने पर ध्यान दिया जाना है।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

9.17 विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के माध्यम से औद्योगिक विकास करने में ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राज्य स्वामित्व को उस स्थान पर उचित ठहराया जा सकता है जहां पर राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा तथा बजट उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाले निवेश प्रतिफल के उद्देश्य सामाजिक या विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सार्वजनिक उपक्रम के लिए निजी उद्यम के प्राकृतिक एकाधिकार उपयुक्त नहीं है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसईएस) भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका अदा करते हैं। 31 मार्च 2013 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में कुल मिलाकर 277 सीपीएसईएस थे जिनमें 229 कार्य कर रहे थे तथा 48 निर्माणाधीन थे। 31 मार्च 2013 तक सभी सीपीएसईएस में वित्तीय निवेश (संपन्न पूंजी दीर्घावधि ऋण) 8,50,599 रहा जो कि 2011-12 की तुलना में 16.6 को वृद्धि प्रदर्शित करता है।

9.18 2012-13 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसईएस से कुल लाभ (149) 1,43,559 करोड़ रहा जबकि घाटे वाले (79) सीपीएसईएस से कुल 28,260 करोड़ रु॰ का घाटा हुआ। एक सीपीएसईएस में न तो लाभ हुआ और हानि भी नही हुई। तेल तथा प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लि॰ राष्ट्रीय तापीय ऊर्जा कारपोरेशन लि॰ भारतीय उर्वरक निगम लि॰ तथा भारत-हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि॰ वर्ष 2012-13 में सर्वाधिक लाभ अर्जन करने वाले सीपीएसईएस थे। भारतीय संचार निगम लि॰ महानगर टेलीफोन निगम लि॰, एयर इंडिया लि॰ चैन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि॰, हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग क॰ लि॰ तथा हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि॰ 2012-13 में सर्वाधिक घाटे वाले पांच सीपीएसईएस थे। करों तथा शुल्कों का भुगतान, सरकारी ऋणों पर ब्याज तथा लाभांशों के द्वारा सरकारी राजकोष में वृद्धि हुई सीपीएसईएस के कुल योगदान में थोडी सी 2011-12 में 1,62,402 करोड़ रु॰ तथा 2012-13 में 1,62,761 करोड़ रु॰ की थोडी सी ही वृद्धि हुई थी। इसका प्राथमिक कारण सेवा कर तथा विक्रय शुल्क में योगदान में वृद्धि था। तथापि, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में कमी रही।

इस्पात

9.19 2013 में चीन, जापान तथा यूएसए के पश्चात् कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान रहा है। 2013 में लौह स्पंज के उत्पादन में भी भारत अग्रणी था और कुल वैश्विक उत्पादन में 25% का उत्पादन करता था। वर्ष 2013-14 (अनंतिम) में भारत में 81.54 मिलियन टन का उत्पादन हुआ। यह 2012-13 की तुलना में 4% अधिक उत्पादन हुआ था जबकि कच्चे इस्पात की उपयोगिता की क्षमता बढ़कर 82% हो गई। अंतिम पांच वर्षों में घरेलू कच्चे इस्पात उत्पाद में चक्रव्राद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) बढ़कर 7.9 प्रतिशत हो गई। उत्पादन में इस प्रकार की वृद्धि का कारण कच्ची इस्पात क्षमता में 9.8 प्रतिशत वृद्धि, उच्च उपयोगिता दर तथा घरेलू इस्पात खपत में 7% वृद्धि थी। 2013-14 के दौरान इस्पात खपत में केवल 0.6 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई।

पिछले पांच वर्षों में, घरेलू अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन 7.9 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर बढ़ा। उत्पादन में यह वृद्धि अपरिष्कृत इस्पात क्षमता में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि, उच्च उपयोग दरों और इस्पात के घरेलू उपभोग में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई।

वस्त्र

9.20 भारत का वस्त्र तथा कपड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह भारत के निर्यात में व्यापक योगदान करने वालों में से एक प्रमुख क्षेत्र है, भारत के कुल निर्यात में लगभग 11% का योगदान करता है। वस्त्र उद्योग श्रम आधारित है तथा लगभग 45 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। असंगठित क्षेत्र में इसका प्रमुख प्रभाव है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान, भारत के विनिर्माण क्षेत्रों से संबंधित निर्यात को बढ़ावा देने

के लिए योजना आयोग द्वारा बनाए गए कार्यदल की रिपोर्ट में मार्च 2017 के अन्त तक भारत के वस्त्र तथा कपड़े के निर्यात में 64.41 बिलियन का लक्ष्य तय किया गया है। वैश्विक वस्त्र निर्यात में डब्ल्यूटीओ डाटा 2010 (अधुनातन) में भारत का 9वां स्थान है जबकि चीन, यूरोपीय यूनियन तथा हांग-कांग पहले तीन स्थानों पर है। वैश्विक वस्त्र निर्यात में चीन तथा यूरोपीय यूनियन के पश्चात् भारत का तीसरा स्थान है। भारत के वस्त्र निर्यात का आयातित तत्व बहुत ही निम्न प्रकार का है जो कि कतिपय विशेष रेशों तथा उपसाधनों तक सीमित है।

9.21 भारतीय वस्त्र उद्योग, खुदरा कच्चे माल से तैयार निर्मित उत्पाद के शीर्ष रूप में एकीकृत है। भारत सरकार इस क्षेत्र को तकनीकी स्तरोन्नयन कोष योजना (टीयूएफएस) के तहत् पर्याप्त सहायता प्रदान कर रही है। टीयूएफएस के तहत इसके प्रारंभ से 31 मार्च 2014 तक 2,50,000 करोड़ रु० से अधिक का निवेश इस क्षेत्र में किया जा चुका है तथा 18,579.40 करोड़ रु० की सबसिडी प्रदान की गई है। इंटेग्रेटेड टेक्सटाइल्स पार्क (एसआईटीपी) की योजना एक राजनितिक पहलकदमी है ताकि औद्योगिक समूहों/स्थानों, वैश्विक अवसंरचनात्मक सुविधाओं से सुसज्जित पार्कों की स्थापना करके उच्च वृद्धि की संभावना को बढ़ावा दिया जा सके। 1900 करोड़ रु० के अनुदान के साथ बारहवीं पंचवर्षीय योजना में एसआईटीपी योजना को बनाए रखने का सुझाव है। इसमें एसआईटीपी के तहत् वेशभूषा निर्माण के लिए अतिरिक्त अनुदान भी सम्मिलित है, को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने (सीसीईए) स्वीकार कर लिया है। 2013-14 में 300 करोड़ रु० का अनुदान दिया गया जो संशोधन के पश्चात् 140 करोड़ हो गया, जिसमें से 111 करोड़ रु० वितरित हो गए हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में निवेश

औद्योगिक क्षेत्र में कुल पूंजी निर्माण

9.22 वर्ष 2013-14 के लिए मौजूदा बाजार मूल्य पर जीडीपी के अनंतिम अनुमानों के अनुसार कुल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) का मूल्य 2011-12 में 31.8 था जो कि 2013-14 में घटकर 28.3 हो गया है। 2013-14 के जीएफसीएफ के विस्तारित अनुमान उपलब्ध नहीं है परंतु स्थिर निवेश की वृद्धि दर में समग्र कमी, वर्ष के दौरान, उद्योग के महत्वपूर्ण खंडों में आगे निवेश में कमी की ओर इशारा करती है। स्थिर मूल्य (2004-05) पर उद्योग पद्धति के द्वारा कुल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) पर उपलब्ध अधुनातन आंकड़ों के अनुसार खनन विनिर्माण तथा निजी औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर निवेश की वृद्धि दर में सुस्पष्ट कमी का अनुमान लगाया गया है। अपंजीकृत विनिर्माण में यह कमी और भी तीव्र रही है जो कि अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों में उपलब्ध राशि की कमी को दर्शाते हैं। समग्र जीसीएफ में क्षेत्रवार हिस्सेदारी देखने से पता चलता है कि समग्र जीसीएफ में अपंजीकृत विनिर्माण की हिस्सेदारी में कमी आई है यह 2010-11 में 5.7% थी जो कि 2012-13 में घटकर 1.9 हो गई। इसी समयावधि में पंजीकृत विनिर्माण में भी कमी आई है यह 29.6% से घटकर 21.9% हो गई (सारणी 9.3)।

2013-14 के जीएफसीएफ के विस्तारित अनुमान उपलब्ध नहीं हैं परंतु स्थिर निवेश की वृद्धि दर में समग्र कमी, वर्ष के दौरान उद्योग के महत्वपूर्ण खंडों में आगे निवेश की कमी की ओर इशारा करती है।

सारणी 9.3 : स्थिर मूल्य (2004-05) पर उद्योग के प्रयोग से कुल पूंजी का निर्माण

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
उद्योग में जीसीएफ की वृद्धि की दर	24.2	20.2	-7.6	-8.5
कुल जीसीएफ में क्षेत्रवार हिस्सेदारी				
1. खनन	3.6	3.6	3.5	3.2
2. विनिर्माण	32.9	35.3	27.4	23.7
क. पंजीकृत	27.8	29.6	23.5	21.9
ख. अपंजीकृत	5.1	5.7	3.9	1.9
3. विद्युत	6.2	7	7.3	7.4
4. निर्माण	4.8	4.4	5.4	5.4

स्रोत: सीएसओ

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अन्तर्वाह

9.23 2013-14 के दौरान कुल एफडीआई अन्तर्वाह (जिसमें साम्यता अन्तर्वाह, कमाई का पुनर्निवेश तथा अन्य पूंजी सम्मिलित है) 36.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। एफडीआई साम्यता अन्तर्वाह 24.30 बिलियन अमेरिका डॉलर था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक था। अप्रैल 2000 से मार्च 2014 तक संचयी एफडीआई अन्तर्वाह 323.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 2013-14 के दौरान निवल एफडीआई अन्तर्वाह 21.6 विलियन डॉलर था। हाल ही के वर्षों में सेवाएं, निर्माण, दूरसंचार, कम्प्यूटर सॉटवेयर तथा हार्डवेयर, औषध तथा भेषज, ऑटोमोबाइल उद्योग, ऊर्जा धातुकर्मीय उद्योग, होटल तथा पर्यटन सर्वाधिक एफडीआई अन्तर्वाह आकर्षित करने वाले क्षेत्र रहे हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों में ऋण का प्रवाह

9.24 2013-14 के लिए बचत आंकड़ों तथा विस्तारित निवेश की अनुपस्थिति में, कुल बैंक ऋण परिनियोजन पर आंकड़े अभी तक औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख खंडों में निवेश की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ संकेत प्रदान करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुपात कुल बैंक ऋण परियोजना के अनुसार वर्ष 2013-14 में उद्योग ऋण के परिनियोजन में मंदी आई लेकिन कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों, सेवाओं तथा निजीऋण करने में वृद्धि हुई। बृहत तथा मध्यम आकार के उद्योगों के लिए कुल बैंक ऋण परिनियोजन वर्ष 2013-14 में तुलनात्मक रूप से कम रहा है। तथापि सूक्ष्म तथा लद्यु उपक्रमों के लिए ऋण में विशाल वृद्धि परिलक्षित होती है। खनन, अवसंरचना, सीमेंट, कोयला, धातु रत्न तथा आभूषण क्षेत्रों में ऋण वृद्धि में कमी देखी जा रही है जबकि खाद्य परिष्करण निर्माण, चमड़ा, रबड़, शीशे तथा कागज में वृद्धि दिखाई दे रही है।

9.25 2013-14 में उद्योगों में कुल ऋण प्रवाह में 14.9% की वृद्धि आई जोकि 2011-12 में प्राप्त की गई 20.9% वृद्धि तथा 2012-13 में 17.8% वृद्धि की तुलना में कम थी। 2013-14 के दौरान खनन में ऋण प्रवाह लगभग निष्क्रिय 0.5% रहा। 2013-14 में ऊर्जा क्षेत्र के निष्पादन को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में इस क्षेत्र में ऋण का प्रवाह 24.9% बढ़ गया। अलग-अलग क्षेत्र में ऋण समावेशन को दखते हुए पेट्रोलियम, रसायन तथा रसायन उत्पाद, आधारभूत धातु, यातायात तथा सभी इंजीनियरिंग क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य रूप से इन देशों में मंदी के कारण, कुल बैंक ऋण में न्यूनतम वृद्धि देखी गई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा उद्योगों के लिए ऋण की क्षेत्र वार वृद्धि सारणी 9.4 में प्रदर्शित की गई है।

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14
उद्योग	20.91	17.84	14.97
विनिर्माण	19.75	18.12	14.03
खनन	39.29	18.06	0.05
विनिर्माण उप क्षेत्र			
खाद्य परिष्करण	14.06	24.06	30.24
वस्त्र	15.19	12.78	13.99
पेट्रोलियम तथा न्यूक्लियर ईंधन	-12.47	10.75	1.86
सीमेंट तथा सीमेंट उत्पाद	17.32	21.77	21.37
रसायन तथा उत्पाद	23.66	18.63	17.84
आधार भूत धातु तथा धातु उत्पाद	28.53	20.91	17.75
सभी इंजिनियरिंग	22.09	18.49	14.48
परिवहन उपकरण	23.19	14.12	11.95
अन्य उद्योग	23.26	18.40	6.30

स्रोत: आरबीआई

सारणी 9.4 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको द्वारा ऋण की वृद्धि

पर्यावरण-उद्योग कड़ी

9.26 पर्यावरणीय अवनति काफी हद तक, बाजार असफलता के कारण होता है, अर्थात् पर्यावरणीय वस्तुओं एवं सेवाओं का गैर-अस्तित्व या खराब रूप से कार्यशील बाजार। इस संबंध में, पर्यावरणीय अवनति निजी और सामाजिक लागतों (या लाभों) के बीच भिन्नता द्वारा प्रतिबिंबित खपत या उत्पादन बाहरीपन का विशेष मामला है। अच्छी तरह से परिभाषित सम्पदा अधिकारों की कमी इस प्रकार की बाजार असफलता के कारणों में से एक हो सकता है। दूसरी ओर, मूल्य नियंत्रण और आर्थिक-सहायता द्वारा सृजित बाजार विरूपण पर्यावरणीय उद्देश्यों की उपलब्धि को और बढ़ा सकता है।

9.27 भारत में आर्थिक विकास के स्तर और तरीके, खासकर बड़े और लघु उद्योगों तथा बढ़ती हुई शहरी और ग्रामीण आबादी के संयोजन पर आधारित एक विविध औद्योगिक ढांचे ने पर्यावरण पर दबाव डाला है। कई उद्योगों द्वारा अपनाई गई निर्माण प्रौद्योगिकी ने पर्यावरण पर काफी अधिक भार डाला है, विशेष रूप से गहन संसाधन और ऊर्जा उपयोग के माध्यम से, जैसा कि प्राकृतिक संसाधन क्षीणता (जीवाश्म ईंधन, खनिज, लकड़ी) जल, वायु, तटीय एवं समुद्री तथा भूमि दूषण, स्वास्थ्य जोखिम और प्राकृतिक परितंत्र की अवनति तथा जैस-विविधता की हानि से स्पष्ट है। औद्योगिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में काम आने वाले उच्च अनुपात जीवश्म ईंधन तथा पेट्रोलियम परिष्करण, लौह एवं इस्पात, अन्य धात्विक और गैर-धात्विक खनिज निष्कर्षण, उर्वरक और सीमेंट जैसे प्रमुख वायु प्रदूषण करने वाले उद्योगों का वायु एवं जल प्रदूषण में अपेक्षाकृत काफी अधिक हाथ है। रसायन आधारित उद्योग के विस्तार के कारण काफी अधिक मात्रा में औद्योगिक एवं खतरनाक कचरे ने गंभीर पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रभाव के साथ कचरा प्रबंधन की समस्या को भी बढ़ाया है। लघु उद्योगों, विशेषकर, ढलाईखानों, रसायन विनिर्माण और ईंट निर्माण भी महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं।

भारत में आर्थिक विकास के स्तर को और तरीके, खासकर बड़े और लघु उद्योगों तथा बढ़ती हुए शहरी और ग्रामीण आबादी के संयोजन पर आधारित एक विविध औद्योगिक संरचना, ने पर्यावरण पर दबाव डाला है।

श्रमिक संबंध

9.28 केन्द्र और राज्य दोनों के औद्योगिक संपर्क तंत्रों के निरंतर प्रयासों के कारण औद्योगिक संबंध वातावरण कुल मिलाकर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहा। जबकि 2008 के दौरान सूचित हड़ताल और तालाबंदी की घटनाओं की संख्या 421 थी, यह आंकड़ा समय के दौरान गिरावट की प्रवत्ति दर्शाते हुए दिसम्बर, 2013 तक 181 (अनंतिम) था। इसी प्रकार, 2008 में नष्ट श्रम-दिवस 17.43 मिलियन और दिसम्बर, 2013 तक 3.29 मिलियन (अनंतिम) थे।

9.29 जहां तक स्थानिक/उद्योग-वार हड़तालों और तालाबंदी के प्रसार का संबंध है, विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्र राज्यों (यूटी) में व्यापक भिन्नताएं हैं। मजदूरी और भत्ते, बोनस, कार्मिक, छंटनी और अनुशासनहीनता तथा हिंसा इन हड़तालों और तालाबंदी के मुख्य कारण हैं।

चुनौतियां

निजी कार्पोरेट क्षेत्र द्वार निवेश को बढ़ाने के लिए व्यवसाय भावना को पुनर्जीवित करना

9.30 चालू औद्योगिक मंदी के मद्देनजर नीति का ध्यान लघु अवधि में मुख्य विकास चालकों को लक्षित करने पर होना आवश्यक है। निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के निवेश का पुनर्जीवन महत्वपूर्ण चालकों में से एक हो सकता है। सार्वजनिक, निजी कॉर्पोरेट और घरेलू क्षेत्रें में संपूर्ण जीएफसीएफ, अर्थात संयंत्र और यंत्रों और निर्माण-कार्य, 2012-13 के दौरान धीमा हुआ है। एक अनुकूल निवेश वातावरण का निर्माण करने और संपूर्ण व्यवसाय मनोभाव को उठाने के लिए औद्योगिक नीति का राजकोषीय, व्यापार, एफडीआई और विनिमय दर नीतियों के साथ निकट समन्वय की आवश्यकता है। रक्षा और कुछ अन्य क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति से काफी अधिक निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षिक करने की व्यापक संभावना है। विद्यमान विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और नए स्थापित और प्रस्तावित एनआईएमजेड से कई गुणा निवेश हो सकता है बशर्ते कि बाधाओं को दूर किया जाए और एक स्थिर प्रोत्साहन ढांचे की स्थापना की जाए। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों के लिए औद्योगिक संकुल को बढ़ावा देना भी निवेश को

एक हितकर निवेश वातावरण तैयार करना और संपूर्ण व्यापार मनोभाव को ऊपर उठाने के लिए औद्योगिक नीति के राजकोष, व्यापार, एफडीआई और विनिमय दर नीतियों के साथ करीबी समन्वय की आवश्यकता है।

बढ़ावा देगा क्योंकि संकुलों में कम संभार-तंत्र लागतों, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला संबद्धता और श्रमजीवी वर्गों तथा प्रौद्योगिकी तक आसान पहुंच का फायदा होता है।

अवसंरचना अवरोधों को दूर करना

9.31 वर्तमान औद्योगिक मंदी महत्वपूर्ण सुधारों को आगे बढ़ाने और अवसंरचना अवरोधों को दूर करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। मध्यम और दीर्घ अवधि में अनुकूल वातावरण के सृजन तथा मजबूत विकास के लिए पिछले वित्त वर्ष के सुधार की गति को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अवसंरचना क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य से, कोयला उत्पादन को बढ़ाना, वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति देना, बिजली वितरण की पुनर्संरचना करना, सड़क और रेल नेटवर्क का उन्नयन करना, विनियामक स्वीकृतियों में देरी को कम करना, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास तथा वित्तीय बाधाओं को समाधान करना कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मोड के तहत परियोजनाओं को सम्पन्न करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन सभी मुद्दों पर अध्याय 11 में विस्तार से चर्चा की गई है।

छोटे व्यवसायों के विकास को सुकर करना

9.32 विनिर्माण का अनियमित/गैर-पंजीकृत हिस्सा पर्याप्त और निम्न लागत वित्तपोषण की कमी, बढ़ती हुई लागतों, आयातों से प्रतिस्पर्धा और आम तौर पर प्रतिकूल व्यापार वातावरण के कारण क्षमता से कम कार्य-प्रदर्शन कर रहा है। जैसे कि पैरा 9.2 में चर्चा की गई है, संपूर्ण जीडीपी में गैर-पंजीकृत विनिर्माण मूल्य वर्धित का हिस्सा कम हो रहा है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण और प्रौद्योगिकी तक सरल पहुंच की कमी है। अनौपचारिक और औपचारिक उद्योग क्षेत्रों के बीच उत्पादन का अंतर विशाल रहा है। छोटे व्यवसायों और अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका रोजगार सृजन लक्ष्य को पूरा करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। औद्योगिक नीति को अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम-साध्य और संसाधन आधारित विनिर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अनौपचारिक क्षेत्र और छोटे व्यवसायों का विकास कानूनों, नियमों और निरीक्षणों की बड़ी संख्या द्वारा बाधित है। छोटे व्यवसायों द्वारा किए गए लगभग सभी गतिविधियों के लिए अलग से प्रचालन अनुपालनों की आवश्यकता होती है। विनियामक और राजकोषीय बोझ के कारण छोटे व्यवसाय मध्यम और औपचारिक बनने से कतराते हैं।

रोजगार सृजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे व्यवसायों और अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका बहुत अधिक महत्व की है। औद्योगिक नीति को अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम-साध्य और संसाधन आधारित विनिर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

9.33 राज्य सरकारें विनियमनों के विषम समूहों को निरूपित और कार्यान्वित कर रहे हैं। निरीक्षणों और अनुपालनों के अलावा, शोध-अक्षमता छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र में रुग्ण और मृत्युकालिक व्यवसायों के पुनर्जीवन और पुनर्वास को मुश्किल बना देता है। भूमि की खरीद और अधिग्रहण की प्रक्रिया खर्चीली है। भूमि विक्रय और क्रय विलेखों का पंजीकरण, मालिकाना हक का हस्तांतरण और निर्माण अनुमति हासिल करना जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। किराए की मांग बुनियादी स्तर पर व्यापक है। हालांकि कुछ राज्यों ने हाल के वर्षों में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कमद उठाए हैं किन्तु अधिकतर राज्यों में छोटे व्यवसायों के लिए अनुकूल परितंत्र अभी भी काफी दूर हैं। विश्व बैंक द्वारा भारत की नवीनतम 'व्यवसाय करने की सुगमता' श्रेणी 2014 में 189 देशों में से 131 से नीचे 134 तक चली गई है। सभी राज्यों में लागू किए जाने हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं पर आम सहमति बनाने और स्व-प्रमाणन, ई-फाइलिंग और ई-रिटर्न को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है।

सभी राज्यों के लिए लागू किए जाने हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं और स्व-प्रमाणन, ई-फाइलिंग तथा ई-रिटर्न को बढ़ावा देने पर आम सहमति बनाए जाने की आवश्यकता है।

मध्यम अवधि में विनिर्माण में संरचनात्मक बदलावों को बढ़ाने की आवश्यकता

9.34 भारतीय उद्योग में सुस्थिर रोजगार सृजन के लिए अच्छी संभावनाओं के साथ कृषि-प्रसंस्करण, वस्त्रों और कपड़ों तथा चमड़ा एवं जूतों के क्षेत्र को और सुदृढ़ करने के लिए काफी अधिक क्षमता है। किन्तु भारतीय विनिर्माण के लिए मध्यम अवधि चुनौतियं निम्न से उच्च तकनीकी क्षेत्रों, निम्न से उच्च मूल्य वर्धित क्षेत्रों और निम्न से उच्च उत्पादकता क्षेत्रों की ओर बढ़ना है। मध्यम तकनीकी उद्योग मुख्य रूप से पूंजी साध्य और संसाधन प्रसंस्करण है और उच्च तकनीकी उद्योग मुख्य रूप से पूंजी और प्रौद्योगिकी साध्य हैं। संपूर्ण जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से को संभावित 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय विनिर्माण को मांग में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाने वाले क्षेत्रों में वैश्विक बाजार पर कब्जा करने की आवश्यकता है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से उच्च प्रौद्योगिकी और पूंजी साध्य हैं। इस प्रकार के उच्च तकनीकी उद्योग सुस्थिर रोजगार में कम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं किन्तु ये पूंजी संग्रह और कौशल विकास तथा ज्ञान आधार में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में दृढ़ आधार प्राप्त करने के लिए, नीति का जोर प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान और विकास, नवाचार और कौशल विकास पर सार्वजनकि और निजी व्यय के स्तर को ऊपर उठाने पर होना चाहिए। सारणी 9.5 विनिर्माण में भारत द्वारा सामना की जा रही वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तुलनात्मक तस्वीर प्रदान करती है।

भारतीय विनिर्माण के लिए मध्यम अवधि चुनौती निम्न से उच्च तकनीकी क्षेत्रों, निम्न से उच्च मूल्य-वर्धित क्षेत्रों और निम्न से उच्च उत्पादकता क्षेत्रों की ओर बढ़ना है।

सारणी 9.5 : वैश्विक विनिर्माण साथियों की तुलनात्मक तस्वीर

देश	जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा	कुल विनिर्माण में एमएचटी का हिस्सा	कुल निर्यातों के प्रतिशत के रूप में एमएचटी निर्यात	विश्व के निर्यात में कुल निर्यात का हिस्सा
चीन	34.1	40.7	59.9	14.6
दक्षिण कोरिया	27.7	53.4	71.8	4.3
थाईलैंड	36.6	46.1	58.0	1.5
जापान	20.5	53.7	79.0	6.04
जर्मनी	19.2	56.7	72.0	10.4
भारत	14.9	32.2	27.0	2.0

स्रोत : यूएनआईडीओ
एमएचटी: मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण

संभावनाएं

9.35 निकट-अवधि औद्योगिक उछाल नीतिगत परिवेश में निरंतर सुधार और उच्चतम निवेश दरों की त्वरित वापसी पर आश्रित है। संपूर्ण बृहत-आर्थिक परिवेश में सुधार के साथ ही उद्योग के पुनर्जीवित होने और अगले दो वर्षों में विकास उत्तरोत्तर बढ़ने की संभावना है।

संपूर्ण वृहत-आर्थिक वातावरण में सुधार के साथ उद्योग के पुनर्जीवित होने की आशा है और अगले दो वर्षों में विकास में क्रमिक तेजी आ सकती है।

9.36 एचएसबीसी भारतीय विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अप्रैल 2014 में 51.3 से मामूली रूप से बढ़कर मई 2014 में 51.4 तक हुआ। यह विनिर्माण गतिविधियों और घरेलू तथा निर्यात आदेशों में कुछ सुधार दिखाता है। बिजली उत्पादन और सीमेंट, इस्पात, उर्वरक और कोयला उत्पादन के लिए चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों के लिए नेतृत्व सूचक सुधार दर्शाता है। रेलवे मालभाड़ा उपार्जन और निर्यात में भी वृद्धि हुई है जिससे आने वाले महीनों में संवर्धित औद्योगिक गतिविधियों की उम्मीदें बढ़ी हैं। आठ प्रमुख अवसंरचनागत सहायक उद्योगों के सूचकांक में अप्रैल 2014 में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि अप्रैल 2013 में यह 3.7 प्रतिशत थी। इसके अलावा, आईआईपी आधारित समग्र औद्योगिक विकास अप्रैल 2013 में दर्ज 1.5 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले अप्रैल 2014 में 3.4 प्रतिशत था।